Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Supply Revision No.- 233/2022

Rijvana @ Rijvana Praveen ..... Petitioner.

Versus

The State of Bihar & Ors ..... Opposite Parties.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	29.08.2023	**आदेश** प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद न्यायालय, समाहर्त्ता, अररिया द्वारा आपूर्त्ति अपील वाद सं0–20/2021 में दिनांक–10.09.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु पृथक आवेदन दाखिल है। उभय पक्षों को सुना। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि PDS विक्रेता के रूप में आवेदिका का चयन किया गया किन्तु बाद में विपक्षी को अनुज्ञप्ति निर्गत कर दी गई। अररिया जिलान्तर्गत कुल 95 PDS डीलर का विज्ञापन प्रकाशित किया गया जिसमें जोकीहाट प्रखंड अंतर्गत तारण पंचायत में एकमात्र अतिपिछड़ा (महिला) की रिक्ति थी जिसमें आवेदिका द्वारा सभी दस्तावेजों के साथ आवेदन समर्पित किया गया। ये कुल 957 अंकों के साथ मौलवी उत्तीर्ण हैं तथा इन्हें वर्ष 2015 में कंप्यूटर ज्ञान का प्रमाण पत्र भी प्राप्त है। इनके अलावा 09 अन्य अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन समर्पित किया गया था। इनके विरूद्ध दो अभ्यर्थियों सुहान प्रवीण एवं बीबी सलमा बेगम द्वारा इनके पति का सरकारी ठिकेदार होना तथा जाली शैक्षणिक प्रमाण पत्र की आपत्ति दी गई। जिला चयन समिति द्वारा इनके प्रमाण पत्रों के जाँच की शर्त्तों के साथ इनका चयन किया गया किन्तु इसे परिवर्तित करते हुए विपक्षी सं0–05 बीबी सलमा बेगम का गलत तरीके से चयन कर लिया गया। जबकि आवेदिका मेधा में प्रथम स्थान पर हैं। आवेदिका को अनुसूची–2 में गलत आवेदन समर्पित करने के आधार पर चयन से वंचित कर दिया गया जबकि चयन समिति द्वारा इन्हें पूर्व में चयनित सूची में रखा था। निम्न न्यायालय द्वारा इनके तथ्यों पर बिना विचार किये आदेश पारित कर दिया गया है जो सही नहीं है। इस प्रकार इनकी ओर से पुनरीक्षण आवेदन स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। दूसरी तरफ विपक्षी सं0–05 के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उपरोक्त रिक्ति के विरूद्ध अनुसूची–1 में आवेदन किया जाना चाहिए था जबकि आवेदिका द्वारा अनुसूची–2 में आवेदन समर्पित किया गया जो ग्रुप/महिला सहयोग समिति आदि के लिए प्रावधानित था। फलतः उनके आवेदन को त्रुटिपूर्ण पाते हुए उन्हें चयन से वंचित कर दिया गया। विपक्षी द्वारा सही	

Web Copy Not Official.

		आवेदन समर्पित करने के आलोक में इनका चयन किया गया। पुनरीक्षण वाद आधारहीन है। इस प्रकार इनकी ओर से पुनरीक्षण आवेदन अस्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। क्रमशः	
	लगातार 29.08.2023	अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया ने पत्रांक–347 दिनांक–15.03.2023 द्वारा प्रत्युत्तर समर्पित करते हुए स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि में प्राप्त आवेदन के आलोक में प्रखंडवार जिला समिति की बैठक दिनांक–26.07.2018 से दिनांक–02.08.2018 तक करते हुए प्राप्त आवेदनों की मेधा सूची के अनुसार नई जनवितरण प्रणाली विक्रेता के चयन हेतु औपबंधिक स्वीकृति दी गई। औपबंधिक सूची में स्वीकृत के विरूद्ध दावा/आपत्ति दिनांक–18.08.2018 तक प्राप्त किया गया। आवेदिका रिजवाना मेधा क्रमांक–01 द्वारा अनुसूची–02 में आवेदन की है जो स्वयं सहायता समूह/महिलाओं की सहयोग समितियाँ/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ हेतु मान्य है। विहित प्रपत्र में आवेदन नहीं होने के कारण इनके दावे को अस्वीकृत करते हुए मेधा क्रमांक–02 बीबी सलमा बेगम का अंतिम रूप से चयन करने का निर्णय लिया गया। बीबी सलमा के नाम से अनुज्ञप्ति निर्गत है एवं जनवितरण प्रणाली की दुकान का संचालन कर रही है। सूचनार्थ समर्पित। उभय पक्षों को सुनने, निम्न न्यायालय आदेश तथा अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि जोकीहाट प्रखंड अंतर्गत तारण पंचायत में अति पिछड़ा (महिला) जनवितरण प्रणाली विक्रेता की रिक्ति के आलोक में समर्पित आवेदनों के जाँचोपरांत विपक्षी सं0–05 बीबी सलमा बेगम के पक्ष में जिला चयन समिति द्वारा अनुज्ञप्ति निर्गत की गई। जबकि आवेदिका का दावा है कि वे प्रथम स्थान पर थी। उनका चयन होना चाहिए था। निम्न न्यायालय आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदिका द्वारा अपना आवेदन पत्र विहित प्रपत्र अनुसूची–1 में न भरकर अनुसूची–02 में समर्पित किया गया था। अनुसूची–02 स्वयं सहायता समूह/महिलाओं की सहयोग समितियाँ/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ हेतु निर्धारित है। इस प्रकार आवेदिका द्वारा अनूसूची–02 में आवेदन करने के आधार पर जिला चयन समिति द्वारा इनके दावे को अस्वीकृत करते हुए मेधा क्रमांक–02 की अभ्यर्थी बीबी सलमा बेगम का अंतिम रूप से चयन करने का निर्णय लिया गया जो विधिसम्मत् है। अतः उपरोक्त के आलोक में निम्न न्यायालय आदेश को नियमानुकूल एवं न्यायोचित पाते हुए इसमें किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन को अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय मूल अभिलेख को वापस भेजें। लेखापित एवं शुद्धित।	

Web Copy, Not Official.

		आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।	

Web Copy. Not Official.